नशे की हालत में तलाक़

नशे की हालत में तलाक़ के मसले पर 12वें फ़िक्ही सेमिनार आज़मगढ, 11-14 अक्टूबार 2000 ई0 (5-8 ज़ीक़ादा 1420 हिजरी) में विचार हुआ और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुआः

1- अगर किसी आदमी ने अनजाने में नशीली चीज़ का सेवन किया, और उसे नशा हो गया, इसी हालत में उसने पत्नी को तलाक़ दे दी तो वह तलाक़ मान्य नहीं होगी।

2- किसी आदमी ने किसी मुस्लिम डाक्टर की राय से किसी ऐसी नशीली चीज़ को दवा के रूप में लिया जिसका कोई विकल्प नहीं था, या भूख और प्यास से मजबूर होकर, ऐसी स्थिति में जबकि हलाल चीज़ हासिल न हो सकती हो, जान बचाने की हद तक नशीली चीज़ का सेवन किया और उसे नशा चढ गया, फिर इसी हालत में उसने अपनी पत्नी को तलाक़ दे दी, तो यह तलाक़ भी मान्य नहीं होगी।

3- किसी आदमी को नशीली चीज़ का सेवन करने के लिए मजबूर किया गया और उसने अपनी इच्छा के ख़िलाफ़ मजबूर होकर उसका सेवन किया, और उसे नशा चढ गया, फिर उसने इस नशे की हालत में पत्नी को तलाक़ दे दी तो यह तलाक़ भी मान्य नहीं होगी।

4- किसी जायज़ और हलाल चीज़ के सेवन से अगर किसी को अचानक नशा चढ गया और इस नशे की हालत में उसने पत्नी को तलाक़ दे दी तो यह तलाक़ भी मान्य नहीं होगी।

5- किसी आदमी ने जानबूझ कर और अपनी इच्छा से शराब या किसी और नशीली चीज़ का सेवन किया और उसे नशा हो गया, लेकिन वह अभी नशे की प्रारम्भिक अवस्था में है, जिसमें मस्ती का एहसास तो है लेकिन होश और चेतना मौजूद होती है, और वह कही हुई बात को समझ रहा होता है, तो इस हालत में पत्नी को तलाक़ देने से तलाक़ लागू हो जाएगी।

6- अपनी इच्छा से जानबूझ कर शराब या किसी दूसरी नशीली चीज़ के इस्तेमाल से आदमी को पूरी तरह नशा चढ गया और वह अपनी चेतना और होश व हवाश खो बैठा, इस हालत में उसने पत्नी के लिए तलाक़ के शब्द बोल दिए, तो इस हालत में तलाक़ लागू होगी या नहीं इस सेमिनार में शरीक लोगों के दो मत हैं:

(अ) तलाक़ मान्य नहीं होगी। यह मत रखने वाले लोगों में प्रमुख नाम यह हैं:

1- मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी साहब

2- मौलाना सैय्यद निज़ाजमुद्दीन साहब अमीर शरीअत (बिहार व उडीसा)

3- मौलाना याक़ूब इस्माईल मुंशी साहब

4- मौलाना क़ाज़ी अब्दुल जलील साहब क़ाज़ी इमारत शरीया

5- मौलाना उबैदुल्लाह असअदी साहब

6- मौलाना अतीक़ अहकद क़ासमी साहब क़ाज़ी (लखनऊ)

7- मौलाना अबुल आस वहीदी साहब

8- मुफ्ती जुनैद आलम नदवी साहब मुफ्ती इमारत शरीया (बिहार व उडीसा)

9- मौलाना मुहम्मद सलमान हुसैनी नदवी साहब

10- मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी साहब

11- मौलाना ज़ुबैर अहमद क़ासमी साहब

12- मौलाना मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी साहब

13- मौलाना सुलतान अहमद इस्लामी साहब

14- मौलाना सबाहुद्दीन मलिक क़ासमी साहब

15- मौलाना मुफ्ती नसीम अहमद क़ासमी साहब

16- मौलाना ख़ुर्शीद अहमद क़ासमी साहब

17- मौलाना शफ़ीक़ अहमद मज़ाहिरी साहब (बरदवान)

18- मौलाना मुबारक हुसैन नदवी साहब (नैपाल)

19- मौलाना ख़ुर्शीद अनवर आज़मी साहब

20- मौलाना ऐजाज़ अहमद क़ासमी साहब

21- मौलाना क़ारी ज़फ़रुल इस्लाम साहब

22- मौलाना राशिद हुसैन नदवी साहब

23- मौलाना रियाज़ अहमद सलफ़ी साहब

24- मौलाना असरारुल हक़ सबीली साहब

(ब) तलाक़ लागू हो जाएगी। यह राय देने वाले प्रमुख लोग ये हैं:

1- मौलाना बुरहानुद्दीन संभली साहब

2- मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब (दिल्ली)

3- मौलाना मुफ्ती महबूब अली वजीही साहब

4- मौलाना मुफ्ती हबीबुल्लाह क़ासमी साहब

5- मौलाना अबू सुफ़ियान मिफ़ताही साहब

6- मौलाना महफ़ूजुर्रहमान शाहीन जमाली साहब

7- मौलाना अबू बक्र क़ासमी साहब

8- मौलाना अबू जन्दल साहब

9- मौलाना अख़तर इमाम आदिल साहब

10- मौलाना तनवीर आलम क़ासमी साहब

11- मौलाना अब्दुल लतीफ़ पालनपुरी साहब

12- मौलाना मुफ़्ती सईदुर्रहमान साहब (मुम्बई)

13- मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब

14- मौलाना अब्दुलल्लाह मज़ाहिरी साहब (बस्ती)

15- मौलाना क़ाज़ी मुहम्मद कामिल साहब

16- मौलाना नज़ीर अहमद कश्मीरी साहब

17- मौलाना अहमद साहब देवलवी

18- मौलाना मौलवी जमालुद्दीन साहब

19- मौलाना मुहम्मद हमज़ा गोरखपुरी साहब

20- मौलाना अबरार अहमद खां नदवी साहब

☆☆☆